बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 144338 पटना, दिनांक 04/04/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(ii वि0अभि0)-102-14/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त।

विषय :- लंबित इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु जिलों के द्वारा सृजित दायित्व के संसूचन के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा जिलावार लक्ष्यों का संसूचन वर्ष के प्रारंभ में कर दिया जाता है तथा तदनुसार राशि की गणना करते हुए भारत सरकार के द्वारा विमुक्त की जाने वाली राशि का भी संसूचन किया जाता है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष कई जिले केन्द्रांश के प्रथम किस्त की विमुक्ति में विलम्ब के कारण द्वितीय किस्त की राशि का दावा ससमय प्रस्तुत नही कर पाते हैं जिसके कारण उन्हें द्वितीय किस्त की राशि नहीं मिल पाती है। इसके अतिरिक्त कई जिलों को द्वितीय किस्त की केन्द्रांश की विमुक्ति के समय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि की कटौती कर ली जाती है, जबकि संसूचित लक्ष्य के आधार पर लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाती है। ऐसी स्थिति में द्वितीय किस्त की निधि की विमुक्ति नही होने/ निधि में कटौती हो जाने के कारण से सभी लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराकर लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निर्माण कराना संभव नहीं है और इस कारणों से पूर्व वर्षों के इंन्दिरा आवास अपूर्ण/अधूरे स्थिति में हैं तथा इसे पूर्ण कराने के लिए अतिरिक्त दायित्व सृजित हैं ।

इस प्रकार के लम्बित दायित्वों का आकलन कर संसूचित करने हेतु उप विकास आयुक्तों की राज्यस्तरीय बैठकों में एवं Video Conferencing के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिये जाते रहें हैं तथा इस कार्य को जनवरी, 2013 तक पूर्ण करने तथा पात्र लाभुकों को 31.03.2013 तक देय राशि का भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया था । किन्तु किसी भी जिले से लम्बित दायित्वों से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नही हुआ है ।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से इंन्दिरा आवास निर्माण के लिए प्रति इकाई सहायता राशि की दर में बढोतरी किये जाने की सूचना भारत सरकार से प्राप्त है। पूर्व के लम्बित दायित्वों के कारण से वर्ष 2013-14 के लिए संसूचित लक्ष्य के अनुरूप नये आवासों को लिये जाने पर प्रत्येक ऐसे जिले जिनकी राशि की कटौती पूर्व में की जा चुकी है, के लिए भौतिक रूप से आवास निर्माण कराना संभव नही होगा । अत: इसके लिए समीचीन होगा कि दिनांक 01.04.2013 की तिथि को सृजित दायित्वों की तथा इस मद में राशि की उपलब्धता की गणना करते हुए हर हाल में एक सप्ताह के अंदर संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि वर्ष 2013-14 के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य तदनुसार संशोधित किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

3/4 **(अमृत लाल मीणा)**
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 144338 **दिनांक-** 04/04/2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/4
सरकार के सचिव

C:\Users\admin\Desktop\Application-304.docx.doc

दिनांक 01.04.2013 को लंबित इंदिरा आवास के निर्माण हेतु प्रखंडवार दायित्व की गणना का प्रपत्र

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	01.04.13 को लंबित घरों की संख्या	01.04.13 को लंबित वैसे घरों की संख्या, जिनमें द्वितीय या अग्रेतर किस्त देनी है	स्तम्भ-4 में निहित राशि	01.04.13 को प्रखंड में उपलब्ध प्रारंभिक शेष	दायित्व की पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 में अतिरिक्त आवश्यक राशि (5-6)	सभी प्रखंडों का कुल दायित्व	जिलें में 01.04.13 को उपलब्ध राशि	01.04.13 को कुल अतिरिक्त दायित्व	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11